



**प्रपत्र 8: आधार नामांकन और अद्यतीकरण
निवासी विदेशी नागरिकों (18 वर्ष से कम आयु) के लिए**

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन: <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन
2	राष्ट्रीयता:
3	राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज : (क) वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा : (i) पासपोर्ट नंबर : (ii) पासपोर्ट समाप्ति की तारीख : <input type="text"/> (DDMMYYYY) (iii) भारत में प्रवेश की तारीख : <input type="text"/> (DDMMYYYY) और (ख) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड का ब्यौरा : (i) ओसीआई नंबर : (ii) ओसीआई कार्ड जारी होने की तारीख : <input type="text"/> (DDMMYYYY) (iii) ई-एफआरआरओ रजिस्ट्रीकरण नंबर : या (ग) वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) का ब्यौरा : (i) एलटीवी नंबर : (ii) एलटीवी जारी होने की तारीख : <input type="text"/> (DDMMYYYY) (iii) एलटीवी समाप्ति की तारीख : <input type="text"/> (DDMMYYYY) या (घ) वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा : (i) वीजा प्रकार/श्रेणी : (ii) जारी करने की तारीख : <input type="text"/> (DDMMYYYY) (ii) समाप्ति की तारीख : <input type="text"/> (DDMMYYYY) (iv) ई-एफआरआरओ रजिस्ट्रीकरण नंबर : या , ओसीआई/एलटीवी/वीजा के साथ विदेशी पासपोर्ट के विकल्प के रूप में केवल नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए : (ङ) प्रस्तुत किए गए दो पहचान सबूत (पीओआई) दस्तावेजों के प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें) (i) पहला पीओआई दस्तावेज : (ii) दूसरा पीओआई दस्तावेज :
4	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए, कृपया केवल वही सूचना भरें जिसे अद्यतन किया जाना है): (क) नाम : (कृपया किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें) (ख) लिंग : <input type="checkbox"/> महिला (ग) जन्म तिथि : <input type="text"/> (DDMMYYYY) या आयु : <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए) <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रान्सजेंडर) (घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा) (घ) ईमेल (अनिवार्य) : (ङ) मोबाइल नंबर : <input type="text"/>
5	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि
6	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए) (क) पता : द्वारा (ऐच्छिक) : मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट : सड़क : भूमि-चिन्ह (लैंडमार्क) : वार्ड नंबर : क्षेत्र / इलाका / सेक्टर : गांव/नगर/शहर : डाकघर (अनिवार्य) : पिन कोड (अनिवार्य) : <input type="text"/> उप-जिला : जिला : राज्य : (ख) प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार : (i) पहचान का सबूत (पीओआई) : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें) (ii) पते का सबूत (पीओए) : (iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) (ऐच्छिक) :
7	एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (क) एचओएफ का ब्यौरा : (i) नाम : आधार नंबर : <input type="text"/> (ii) बालक/बालिका से संबंध : <input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक (ख) संबंध के सबूत (पीओए) के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें) मैं ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए और मेरी बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए। एचओएफ के हस्ताक्षर :
8	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना : (क) बालक/बालिका का आधार नंबर : <input type="text"/> (ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना : <input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण

घोषणा

1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि—
(क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं;
(ख) मैं और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्षित करने वाली सूचनाओं के हकदार हूँ; और
(ग) बालिका/बालक एक निवासी विदेशी नागरिक (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) है।
2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।
4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्षित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :

माता, पिता या विधिक संरक्षक
के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप* :

सत्यापनकर्ता का नाम :

तारीख और समय :

प्रपत्र 8 भरने के अनुदेश

क्र.सं.	वस्तु	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	राष्ट्रीयता	कृपया ब्यौरा भरें।	अनिवार्य
3	राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें।	(क) के साथ (ख), (ग) या (घ), या नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए, (ड) ये अनिवार्य है
(ख)	वैध ओसीआई कार्ड का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें।	
(ग)	वैध एलटीवी का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें।	
(घ)	वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें।	
(ड)	प्रस्तुत किए गए 2 पीओआई दस्तावेजों के प्रकार	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें।	
4	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि), सम्मान शब्द (ऐक्लिसिआस्टिकल उपाधि आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) का लोप करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, डीओबी या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✓) निशान लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✓) का निशान लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें।	अनिवार्य
(ड)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस/टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
5	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✓) का निशान लगाएँ।	अनिवार्य
6	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें। (2) पते में "द्वारा" के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। (3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा। (5) पीओए दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ का ब्यौरा	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरा भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
8	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरा भरें।	अनिवार्य
(ख)	सूचना अद्यतीकृत की जाए	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के लिए फीस

क्र. सं.	सेवा	फीस
1	नामांकन	₹ [*]
2	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) का अद्यतीकरण	₹ [*]
3	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*]
4	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*]

* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए